

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6911/2021

1. राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद, 2 औद्योगिक क्षेत्र, दैनिक भास्कर कार्यालय के पास, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर इसके अध्यक्ष शाहीन अली खान पुत्र श्री के माध्यम से। लियाकत अली खान, निवासी 61 किदवई नगर, इमली फाटक, जयपुर।
2. अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. एस.एल. अग्रवाल, निवासी 163 विश्वेसरिया नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर वर्तमान में संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पद पर तैनात हैं।
3. सुनील शर्मा पुत्र श्री दामोदर प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी ई-19, गांधी नगर, जयपुर (राजस्थान) वर्तमान में संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग के पद पर तैनात हैं।
4. राजेंद्र सिंह पुत्र स्व. लोहारे राम, निवासी ए-148 राम नगरिया, जेडीए स्कीम, स्किट कैम्पस के पास, जगतपुरा, जयपुर वर्तमान में जेएस, राजस्व के रूप में तैनात हैं।
5. शाहीन अली खान पुत्र श्री लियाकत अली खान, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी 61, किदवई नगर, इमली वाला फाटक, जयपुर (राजस्थान) वर्तमान में जेएस, सीएमओ के पद पर तैनात हैं।
6. राकेश शर्मा पुत्र श्री बी.एल. शर्मा, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ए-6, जेडीए फ्लैट्स, लालकोठी, जयपुर (राजस्थान) वर्तमान में संयुक्त सचिव, राजस्व के पद पर तैनात हैं।
7. सुखवीर सैनी पुत्र श्री गोविंद राम सैनी, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी 806, यूनिफ सांघी अपार्टमेंट, महावीर नगर, जयपुर (राज.) वर्तमान में एड., आर.बी.सी.एल. के पद पर तैनात हैं।

8. मनीष गोयल पुत्र एस.सी. गोयल, निवासी ई-14, गोखले मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर वर्तमान में कार्यकारी निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर के पद पर कार्यरत हैं।
9. जगवीर सिंह पुत्र गिराज प्रसाद, निवासी 82/39, मानसरोवर, जयपुर, अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग।
10. महेंद्र कुमार खिंची पुत्र आर.एन. खिंची, निवासी बी-23, देवी चिरंजीव कॉलोनी, महेश नगर, जयपुर वर्तमान में अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) (प्रशासन), परिवहन और पदेन संयुक्त सचिव, सरकार, जयपुर के पद पर तैनात हैं।
11. केसर लाल मीना पुत्र जगन्नाथ मीना, निवासी ए-418, सिद्धार्थ नगर, जवाहर सर्किल, जयपुर वर्तमान में महाप्रबंधक, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर के पद पर तैनात हैं।
12. डॉ. हर सहाय मीणा पुत्र लक्ष्मी नारायण मीणा, निवासी ए-553, सिद्धार्थ नगर, जवाहर सर्किल, जयपुर संयुक्त सचिव, सी.एम.ओ. के पद पर नियुक्त।
13. अजय असवाल पुत्र जे.पी. असवाल, निवासी ए-224, हनुमान नगर, जयपुर को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।
14. बचनेश अग्रवाल पुत्र द्वारका प्रसाद अग्रवाल, निवासी 2/62, एवीएस फ्लैट, गांधीनगर, जयपुर वर्तमान में विशेष सहायक के पद पर तैनात हैं। सेवा में, मंत्री, उद्योग, राजकीय उद्यम विभाग, जयपुर (श्री परसादी लाल)
15. मूलचंद पुत्र स्वर्गीय श्री किशन राम, निवासी 528, हनुमान नगर एक्सटेंशन, सिरसी रोड, जयपुर, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
16. सुरेश चंद्र पुत्र स्वर्गीय श्री भगवान सिंह, निवासी 363, जसवंत नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर वर्तमान में विशेष कार्य अधिकारी, चुनाव विभाग, जयपुर के पद पर तैनात हैं।

17. जसवंत सिंह पुत्र बीरबल सिंह यादव, निवासी डी-10/101 चित्रकूट स्कीम, जयपुर वर्तमान में प्रबंध निदेशक, राजस्थान बीज निगम, जयपुर के पद पर तैनात हैं।
18. मुकेश कुमार शर्मा पुत्र आर.के. शर्मा, निवासी बी-29, आशीष विहार, रामनगरिया रोड, जगतपुरा, जयपुर को मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।
19. गौरव बजाड़ पुत्र लेफ्टिनेंट श्री हीरालाल बजाड़, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी ई-6, गांधी नगर, जयपुर (राजस्थान) वर्तमान में संयुक्त सचिव, सीएमओ के पद पर तैनात हैं।
20. सुनील भाटी पुत्र श्री डी.एल. भाटी, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी 53 ए, श्री राम नगर, गोल्यावास, जयपुर (राजस्थान) वर्तमान में डीओ, जयपुर के पद पर तैनात हैं।
21. राजनारायण शर्मा पुत्र रामजी लाल, निवासी बी-77, स्कीम 10-बी, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर को अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा के पद पर तैनात किया गया है।
22. डॉ. राष्ट्रदीप यादव पुत्र स्व. हेमन्त यादव, निवासी सी-75 निर्माण नगर, जयपुर वर्तमान में डी.एस. के पद पर तैनात हैं। उच्च शिक्षा.
23. राधे श्याम डेलू पुत्र श्री बी.आर. डेलू, निवासी एफ-211 न्यू ट्रांजिट हॉस्टल, गांधी नगर, जयपुर, वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलात विभाग में उप निदेशक के पद पर तैनात हैं।

- - - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर
4. संघ लोक सेवा आयोग, सचिव के माध्यम से, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।

5. श्री राजेंद्र सिंह तंवर पुत्र स्वर्गीय श्री मलूक चंद तंवर, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी 119, रणजीत नगर, खातीपुरा, जयपुर, राजस्थान।

6. श्री हरद्वेश कुमार जुनेजा पुत्र श्री स्वर्गीय राज वंश जुनेजा, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी 135-बी, राम गली नंबर 3, राजा पार्क, जयपुर।

- - - -उत्तरदाता

7. प्रेम सुख बिश्रोई पुत्र एम.एल. बिश्रोई, निवासी 401 गोल्डन हार्मोनी, सी-139 माथुर कॉलोनी, वर्तमान में सेटलमेंट ऑफिसर, जयपुर के पद पर तैनात हैं।

8. नलिनी कठोटिया पुत्री श्री एस.एम. कठोटिया, निवासी एफ-19 सरस्वती नगर, जयपुर वर्तमान में संयुक्त शासन सचिव, गृह (अपील), विभाग, जयपुर।

- - - - - प्रोफार्मा-उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता श्री तनवीर अहमद, श्री पृथ्वी पाल, श्री नितीश जोशी, श्री जैद उल हक, श्री घोलम नूरानी, अधिवक्ता ने की।

उत्तरदाता के लिए : श्री ए.के. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता श्री बनवारी लाल शर्मा, श्री नमो नारायण शर्मा, श्री माधव दाधीच, श्री रचित शर्मा, अधिवक्ता ने की। श्री विज्ञान शाह, एएजी के साथ श्री संकल्प विजय, श्री नमन मिश्रा, श्री शुभेंद्र सिंह, श्री यश जोशी, श्री आनंद शर्मा, श्री आलम साहनी, श्री। अमित माथुर, सलाहकार।

माननीय श्री जस्टिस पंकज भंडारी
माननीय श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता
आदेश

आरक्षित तिथि

::

26/11/2024

उच्चारण

::

05/12/2024

समाचार-योग्य

(पंकज भंडारी, जे द्वारा)

1. याचिकाकर्ताओं ने यह रिट याचिका प्रस्तुत कर विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ द्वारा पारित दिनांक 12.03.2021 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मूल आवेदन संख्या 594/2019 को खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षेप में कहा जाए तो मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर कर निम्नलिखित राहत की मांग की थी:-

“1. मूल आवेदन संख्या 594/2019 में विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ द्वारा पारित दिनांक 12.03.2021 (अनुलग्नक 1) के आदेश को कृपया रद्द किया जाए और अलग रखा जाए और मूल आवेदन संख्या 594/2019 में याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना को न्याय के हित में स्वीकार और अनुमति दी जाए।

2. कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश जिसे माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जा सकता है।”

3. मूल आवेदन में आरोप लगाया गया था कि राज्य उन रिक्तियों के विरुद्ध भारतीय प्रशासनिक सेवा में गैर राज्य सिविल सेवा अधिकारियों (संक्षेप में 'गैर-एससीएस') का चयन कर रहा है, जिन्हें राज्य सरकार ने गलत तरीके से गैर-एससीएस अधिकारियों के लिए कोटा के रूप में निर्धारित किया है। यह दलील दी गई है कि आईएस (भर्ती) नियम, 1954 (जिसे आगे "भर्ती नियम, 1954" कहा जाएगा) के नियम 8(2) और नियम 4(1)(सी) की राज्य द्वारा गलत व्याख्या की गई है। यह दलील दी गई है कि नियम में कभी भी 15% का कोटा तय नहीं किया गया था और इसका उपयोग केवल "विशेष परिस्थितियों" में किया जाना था। यह दलील दी गई है कि ओ.ए. में आवेदकों ने एक नोट शीट पर लिए गए राज्य सरकार के निर्णय पर भी सवाल उठाया है, जिसकी एक प्रति आरटीआई के तहत प्राप्त की गई है। यह दलील दी गई है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएस में पदोन्नति के लिए 28-29 साल की अवधि तक इंतजार करना पड़ता है और बिना किसी मानदंड के गैर-एससीएस अधिकारियों के चयन पर विचार करना अस्थिर है। यह भी दलील दी गई है कि डिप्टी कलेक्टर के पद के साथ गैर-एससीएस अधिकारियों के मामले में 9 साल की सेवा के समकक्ष घोषित करना भी गलत है और यह अन्य सेवाओं को आरएस पर प्रतिकूल लाभ देता है। यह भी दलील दी गई है कि वर्ष 2018 के लिए उपलब्ध कुल रिक्तियां 15 थीं, जिनमें से 4 को गैर-एससीएस श्रेणी के लिए कोटा माना गया है जो भर्ती नियम, 1954 के नियम 9 (1) का उल्लंघन है जो भर्ती नियम, 1954 के नियम 8 के तहत गैर-एससीएस श्रेणी के व्यक्तियों की भर्ती के लिए 15% की सीमा निर्धारित करता है।

4. ओए को दायर जवाब में, राज्य ने याचिकाकर्ताओं के सुपुर्दगी के अधिकार पर सवाल उठाया है और कहा है कि वे पीड़ित पक्ष नहीं हैं और केवल पदोन्नति का मौका कार्रवाई का कारण नहीं बन सकता क्योंकि पदोन्नति का मौका कानूनी अधिकार नहीं है। यह भी दलील दी गई है कि

नोट-शीट पर निर्णय के लिए केवल सुझावों को ट्रिब्यूनल द्वारा न्यायनिर्णयन का मामला नहीं बनाया जा सकता है। राज्य ने इस बात से इनकार किया है कि गैर-एससीएस अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद का कोई बाहरी विचार है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार का प्रमाणन कि पर्याप्त संख्या में योग्य गैर एससीएस अधिकारी हैं जिनमें उत्कृष्ट योग्यता और क्षमता है और गैर-एससीएस श्रेणी के अधिकारियों से रिक्तियों को भरने के लिए विशेष परिस्थितियां हैं, को ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।

5. याचिकाकर्ताओं द्वारा आवेदन पर प्रत्युत्तर दायर किया गया, जिसमें नोट-शीट सहित कुछ दस्तावेज संलग्न किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि गैर-एससीएस श्रेणी के लिए चयन प्रस्ताव गलत और नियमित तरीके से बनाए गए हैं।

6. श्री तनवीर अहमद की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एन. माथुर ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी भर्ती नियम, 1954 के नियम 8(2) और नियम 4(1)(सी) के प्रावधान को गैर एससीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित कोटा मान रहे हैं। यह तर्क दिया गया है कि तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा तैयार नोटशीट में बिना किसी औचित्य के पहले की प्रचलित व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादियों ने रिक्तियों को समाप्त न करके और उन्हें गैर-एससीएस अधिकारियों के लिए रिक्तियों के रूप में मानकर गलत तरीके से चार रिक्तियों की गणना की है। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादियों ने गैर-एससीएस अधिकारियों की पदोन्नति के लिए कोटा रिक्तियों के निर्धारण के संबंध में दिनांक 17.02.2023 को फिर से एक पत्र जारी किया है और वर्ष 2022 में चार अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के मद्देनजर गैर-एससीएस श्रेणी के तहत चार रिक्तियों को वर्ष 2022 के लिए मनमाने ढंग से निर्धारित किया गया है।

7. यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादियों ने गैर-एससीएस श्रेणी के अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में पदोन्नति के संबंध में प्रमाणपत्र/परिपत्र जारी किया है, जिसके तहत गैर-एससीएस श्रेणी से पदोन्नति कोटे की रिक्तियों को भरा जाएगा, जबकि भर्ती नियम, 1954 के नियम 8(2) के अनुसार, गैर-एससीएस अधिकारियों के लिए कोई पदोन्नति कोटा निर्धारित नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादियों ने गैर-एससीएस श्रेणी के अधिकारियों से पदोन्नति कोटा निर्धारित किया है, जो भर्ती नियम, 1954 के नियम 8(2) के बिल्कुल विपरीत है।

8. विद्वान वकील ने पी.एम. बायस बनाम भारत संघ एवं अन्य 1993 (3) एस.सी.सी 319 का हवाला दिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को नियम 4(1)(सी) में “विशेष मामलों में व्यक्तियों में से” और 1954 के नियम 8(2) में “विशेष परिस्थितियों में” अभिव्यक्ति की व्याख्या करने का अवसर मिला था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि आईएएस की नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते केंद्र सरकार को विशेष भर्ती करने की पूर्व शर्त के रूप में विशेष परिस्थितियों के अस्तित्व के बारे में अंतिम रूप से संतुष्ट होना होगा। यह तर्क दिया गया है कि प्रति वर्ष रिक्तियों को मिलाना स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम जे.डी. नाहरवाल रिट याचिका (सिविल) संख्या 6474/2023 में 11.08.2010 को तय किया था।

9. डॉ. सुलेखा चक्रवर्ती बनाम भारत संघ 2008 (2) एस.एल.जे कैट के मामले में 24.08.2007 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय पर भी भरोसा किया जाता है, जिसमें यह माना गया था कि आईएएस में शामिल होने के मामले में एससीएस और गैर-एससीएस अधिकारियों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोनों अलग-अलग संदर्भ में स्थित हैं। आईएएस में उनकी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों में अंतर है, जबकि एससीएस अधिकारियों के लिए, वर्ष के भीतर चयन समिति की बैठक आयोजित करने पर कोई

प्रतिबंध नहीं है और यदि यह आयोजित नहीं होती है, तो अगले वर्ष के लिए रिक्तियों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन गैर-एससीएस अधिकारियों के लिए आईएस (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमों के तहत यह संभव या अनुमत नहीं है क्योंकि गैर-एससीएस अधिकारियों के मामले में, यदि राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियां, वर्ष के 1 जनवरी को उसी वर्ष 31 दिसंबर तक नहीं भरी जाती हैं यह तर्क दिया गया है कि पदोन्नति के लिए विचार एक मौलिक अधिकार है और इसलिए, वर्तमान याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए उचित विचार से याचिकाकर्ताओं को वंचित करने में प्रतिवादियों की ओर से कार्रवाई/चूक के खिलाफ अपनी शिकायतें उठाने का अधिकार है।

10. यह तर्क दिया गया है कि नोट-शीट से पता चलता है कि मुख्यमंत्री ने पिछली प्रथा को जारी रखने की अनुमति दी है। यह तर्क दिया गया है कि केवल एक प्रथा को अपनाने से प्रतिवादियों को प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत आवश्यकताओं का पालन करने से नहीं रोका जा सकता है और एक बार अपनाई गई प्रथा को कानून द्वारा न्यायालय के समक्ष चुनौती दिए जाने के बाद, प्रतिवादियों को न्यायालय को यह दिखाना होगा कि नियमों के तहत आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि गैर-एससीएस श्रेणी से भर्ती करने के लिए भर्ती नियम, 1954 के तहत आवश्यक "विशेष परिस्थितियों" को न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया है।

11. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एएजी श्री विज्ञान शाह ने रिट याचिका का कड़ा विरोध किया है। यह तर्क दिया गया है कि गैर-एससीएस श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जा रही है। यह तर्क दिया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 (जिसे आगे "चयन विनियम, 1997" कहा जाएगा) के विनियम 3 के अंतर्गत, केंद्र

सरकार, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, प्रत्येक वर्ष इन विनियमों के अंतर्गत भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगी। रिक्तियों की संख्या उस वर्ष की पहली जनवरी को मूल रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी, जिसमें चयन करने वाली समिति की बैठक आयोजित की जाती है। यह तर्क दिया गया है कि चयन विनियम, 1997 के विनियम 4 के अनुसार, समिति विनियम 4 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करेगी और सेवा में नियुक्ति के लिए विनियम 3 के अंतर्गत भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं, व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी। सेवा में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता का निर्धारण सेवा अभिलेखों की जाँच और व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा।

12. यह तर्क दिया गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष भी विशेष परिस्थितियों की ओर ध्यान दिलाया गया था। जिन उम्मीदवारों को उत्कृष्ट और योग्य पाया गया, उनके नामों की अनुशंसा की गई और फिर चयन प्रक्रिया शुरू की गई। यह तर्क दिया गया है कि पीड़ित व्यक्तियों को रिट याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है और याचिकाकर्ताओं ने लालच के कारण गैर-एससीएस श्रेणी के अधिकारियों के प्रवेश को रोकने के लिए यह रिट याचिका दायर की है। यह तर्क दिया गया है कि गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की संख्या 20 से अधिक है और सरकार को विभिन्न कारणों से गैर-एससीएस श्रेणी के अधिकारियों की आवश्यकता है, जिनका उल्लेख ओए को प्रस्तुत उत्तर में किया गया है।

13. भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या के संबंध में, विद्वान एएजी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सिविल सेवा श्रेणी के लिए, भर्ती नियम 1954 के नियम 9 के अनुसार, किसी भी राज्य या समूह में नियम 8 के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय राज्य सरकार के

तहत वरिष्ठ पदों की संख्या के 33-1/2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके प्रावधान में यह प्रावधान है कि नियम 8 के उप-नियम (2) के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय नियम 8 के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह तर्क दिया गया है कि राज्य सेवा से अधिकारियों की भर्ती पर एक सीमा है जो कि साढ़े 33 प्रतिशत है, इसी तरह गैर-एससीएस श्रेणी की भर्ती पर भी एक सीमा है जो नियम 8 के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या के साढ़े 33 प्रतिशत का 15% है। इस प्रकार, दोनों श्रेणियों में एक ऊपरी सीमा है और राज्य ने रिक्तियों का निर्धारण करते समय भर्ती नियम, 1954 के नियम 8 और नियम 9 पर विचार किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा अधिकारी संघ ने वर्तमान ओ.ए. और साथ ही गैर-एससीएस श्रेणी के उम्मीदवारों को रोकने के लिए यह रिट याचिका दायर की है क्योंकि गैर-एससीएस श्रेणी के उम्मीदवारों से नियुक्ति के लिए समय सीमा प्रदान की गई है यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के वकील ओ.ए. की आड़ में वास्तव में उन नियमों को चुनौती दे रहे हैं, जो आईएएस में भर्ती के तीन तरीके प्रदान करते हैं।

14. प्रतिवादियों के वकील ने पी.एम. बायस बनाम भारत संघ एवं अन्य 1993 (3) एस.सी.सी 319 का हवाला दिया है, जिस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने भी भरोसा किया है, जिसमें यह माना गया है कि "विशेष परिस्थितियों" के अस्तित्व के संबंध में संतुष्ट होने वाले प्राधिकारी प्रारंभ में राज्य सरकार हैं और अंत में, केंद्र सरकार, आईएएस के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नियमों के अनुसार, चयन द्वारा गैर-एससीएस अधिकारियों की नियुक्ति से 15% तक पदोन्नति के पद भरे जा सकते हैं और यदि यह सीमा पार नहीं की गई है, तो राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधिकारी कोई शिकायत नहीं उठा सकते हैं।

15. हमने तर्कों पर विचार किया है।

16. भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक विनियमों और नियमों को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (संक्षेप में 'अधिनियम') अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, केंद्र सरकार संबंधित राज्यों की सरकारों के परामर्श के बाद और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अखिल भारतीय सेवा में भर्ती के विनियमन और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के लिए नियम बना सकती है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों की सरकारों के परामर्श के बाद निम्नलिखित नियम और विनियम बनाए हैं:- भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997

17. भर्ती नियम, 1954 के नियम 3, 4, 8 और 9 प्रासंगिक हैं और इन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

3. सेवा का गठन.-(1) सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात:-

(क) भारतीय सिविल सेवा के सदस्य, जिन्हें न्यायपालिका में स्थायी रूप से आबंटित नहीं किया गया है;

(ख) भारतीय सिविल सेवा के सदस्य, जो न्यायपालिका को स्थायी रूप से आबंटित नहीं हैं, जो संविधान के प्रारंभ की तारीख से कार्यपालक पदों पर आसीन हैं और जिन्हें राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवा का सदस्य घोषित किया जा सकेगा;

(सी) [xxxxxx]

(घ) इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में अपेक्षित व्यक्ति; और

(ई) इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए व्यक्ति।

4. सेवा में भर्ती की पद्धति.-(1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित पद्धतियों द्वारा की जाएगी, अर्थात:-

(क) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा;

(बी) [xxxxxx]

(ग) राज्य सिविल सेवा के मूल सदस्य की पदोन्नति द्वारा;

(घ) विशेष मामलों में ऐसे व्यक्तियों में से चयन द्वारा, जो राज्य के कार्यकलापों से संबंधित राजपत्रित पदों पर मौलिक रूप से आसीन हैं और जो राज्य सिविल सेवा के सदस्य नहीं हैं।

(2) इन नियमों के प्रावधानों के अधीन:-

क) किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाई जाने वाली भर्ती की पद्धति या पद्धतियों का, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट अवधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग और संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से अवधारित किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक विधि द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

बशर्ते कि जहां ऐसी कोई रिक्ति या रिक्तियां राज्य संवर्ग या संयुक्त संवर्ग से संबंधित हों, वहां राज्य सरकार आयोग के परामर्श से.

(3) उपनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी

(1) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताएं ऐसी अपेक्षा रखती हैं तो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और आयोग से परामर्श के पश्चात्, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट विधियों से भिन्न सेवा में भर्ती की ऐसी पद्धति अपना सकेगी जो वह इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विहित करे।

(4) इस नियम में इससे पूर्व किसी बात के होते हुए भी, जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में, राज्य संवर्ग में उसके प्रारंभिक गठन पर भर्ती ऐसी पद्धति से की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और आयोग के परामर्श के पश्चात् विहित करे।

(5) [xxxx]

(6) [xxxx]

8. राज्य एवं संयुक्त संवर्ग में नियुक्ति के लिए पदोन्नति या चयन द्वारा भर्ती:-(1)

केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर और आयोग के परामर्श से तथा ऐसे विनियमों के अनुसार, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और आयोग के परामर्श के पश्चात् समय-समय पर बनाए, राज्य सिविल सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा सेवा में व्यक्तियों की भर्ती कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, विशेष परिस्थितियों में और संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर तथा आयोग के परामर्श से तथा ऐसे विनियमों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और आयोग के परामर्श के पश्चात् समय-समय पर बनाए, राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत उत्कृष्ट योग्यता और योग्यता वाले किसी ऐसे व्यक्ति को सेवा में भर्ती कर सकेगी, जो उस राज्य की राज्य सिविल सेवा का सदस्य नहीं है, किन्तु जो मूल हैसियत में राजपत्रित पद धारण करता है।

9. नियम-8 के अंतर्गत भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या:-

(1) किसी राज्य या राज्य समूह में नियम 8 के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची में उस राज्य या राज्य समूह के संबंध में राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व और प्रशिक्षण रिजर्व के अधीन वरिष्ठ पदों की संख्या के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय नियम 8 के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: इस उपनियम के अंतर्गत पदों की गणना के प्रयोजन के लिए, यदि कोई अंश हो तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा।

18. भर्ती नियम, 1954 का नियम-4 सेवा में भर्ती की पद्धति का प्रावधान करता है:

(क) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा;

(ख) राज्य सिविल सेवा के मूल सदस्य की पदोन्नति द्वारा;

(ग) विशेष मामलों में, ऐसे व्यक्तियों में से चयन द्वारा, जो राज्य के कार्यकलापों से संबंधित राजपत्रित पदों पर मौलिक हैसियत में आसीन हैं और जो राज्य सिविल सेवा के सदस्य नहीं हैं।

19. भर्ती नियम, 1954 के नियम-4(2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पद्धति से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार, नियमों के प्रावधानों के अधीन, केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, प्रत्येक पद्धति से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करती है।

20. नियम-8(3) ऐसे मामले से संबंधित है जहां राज्य संवर्ग में कोई रिक्ति होती है जिसे इस नियम के प्रावधान के तहत भरा जाना है और यह प्रावधान करता है कि ऐसी रिक्ति राज्य सिविल सेवा के सदस्य की पदोन्नति द्वारा या, जैसा भी मामला हो, उस राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत किसी अन्य अधिकारी के चयन द्वारा भरी जाएगी।

21. इसके अतिरिक्त, नियम-9(1) में प्रावधान है कि किसी भी राज्य या समूह में नियम-8 के अंतर्गत भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों की संख्या के $33\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसमें राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के साथ-साथ गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारी भी शामिल हैं। हालाँकि, प्रावधान यह भी है कि नियम-8(2) के अंतर्गत भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, जो गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों से संबंधित है, किसी भी समय नियम-8 के अंतर्गत भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस प्रकार, नियम बहुत स्पष्ट है कि एससीएस अधिकारियों और गैर-एससीएस अधिकारियों से नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या राज्य के तहत वरिष्ठ पदों की संख्या के $33\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है और गैर-एससीएस श्रेणी से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियम 8 के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों के $33\frac{1}{2}$ प्रतिशत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि

राज्य सिविल सेवा से संबंधित अधिकारियों को पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि गैर-एससीएस श्रेणी के अधिकारियों को चयन द्वारा नियुक्त किया जाता है।

22. गैर-एससीएस श्रेणी से भरी जाने वाली रिक्तियों का निर्धारण करने के लिए, राज्य सरकार और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा चयन विनियम, 1997 बनाए गए हैं और संबंधित विनियम 3 और 5 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

3. भरी जाने वाली रिक्तियों का निर्धारण:- केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, इन विनियमों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की जाने वाली भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगी। रिक्तियों की संख्या उस वर्ष की पहली जनवरी को मूल रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी, जिसमें चयन समिति की बैठक आयोजित की जाती है।

5. समिति द्वारा उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना- समिति विनियम 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करेगी और सेवा में नियुक्ति के लिए विनियम 3 के अधीन भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं, व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी। सेवा में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता सेवा अभिलेखों की जांच और व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा निर्धारित की जाएगी:

परन्तु यह कि समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी और संबंधित वर्ष के लिए कोई सूची तैयार नहीं की जाएगी, जब

(क) भर्ती नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) के परन्तुक के साथ पठित नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन व्यक्तियों की भर्ती के लिए उपलब्ध पदों में वर्ष की पहली जनवरी को कोई मौलिक रिक्तियां नहीं हैं; या

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से यह विनिश्चय करती है कि भर्ती नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) के उपबंधों के साथ पठित नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन भर्ती के लिए उपलब्ध पदों में वर्ष की पहली जनवरी को विद्यमान मूल रिक्तियों पर वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की जाएगी; या

(ग) आयोग, या तो स्वयं या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर, यह समझता है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्ष के दौरान समिति की बैठक आयोजित करना व्यावहारिक नहीं है। स्पष्टीकरण- संयुक्त संवर्गों की स्थिति में, राज्य सिविल सेवा वाले प्रत्येक घटक के संबंध में एक पृथक चयन सूची तैयार की जाएगी।

23. इसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 (जिसे इसके बाद "पदोन्नति विनियम, 1955" कहा जाएगा) बनाया गया है, जिसमें भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कुछ विनियम बनाए हैं। विनियम 5 के तहत, विनियम 3 के अनुसार गठित समिति को हर साल बैठक करनी होती है और राज्य सिविल सेवा के ऐसे सदस्यों की एक सूची तैयार करनी होती है, जिन्हें वे सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त मानते हैं। सूची में शामिल किए जाने वाले राज्य सिविल सेवा के सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाएगी और भर्ती नियमों के नियम 9 के तहत उनके लिए उपलब्ध पदों पर बैठक आयोजित करने वाले वर्ष की पहली जनवरी को मूल रिक्तियों के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होगी। पदोन्नति द्वारा चयन के लिए गठित चयन समिति पात्र अधिकारियों को 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा', 'अच्छा' या 'अयोग्य' के रूप में वर्गीकृत करेगी।

24. उपरोक्त नियमों और विनियमों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, राज्य सिविल सेवा और गैर-राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतिवर्ष रिक्तियों का निर्धारण करती है। ऐसी रिक्तियों का निर्धारण, भर्ती नियम, 1954 के नियम 9 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

25. प्रारंभ में याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि गैर-एससीएस श्रेणी से कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए और गैर-एससीएस श्रेणी से नियुक्त व्यक्तियों को उनकी विशेषज्ञता से संबंधित संबंधित विभाग में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। हमें उक्त तर्क में कोई दम नहीं लगता क्योंकि भर्ती नियम, 1954 अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती, राज्य सिविल सेवा से पदोन्नति और गैर-एससीएस श्रेणी से चयन द्वारा नियुक्त अधिकारी शामिल होते हैं। याचिकाकर्ताओं ने नियम को चुनौती नहीं दी है और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा लिया गया प्रारंभिक आधार निराधार है।

26. जहां तक याचिकाकर्ताओं के वकील की इस दलील का सवाल है कि चयन द्वारा भर्ती से संबंधित नोटशीट में गैर-एससीएस श्रेणी के लिए 15% कोटा रखने की बात कही गई है, जो भर्ती नियम, 1954 के विपरीत है और जिससे राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को भारी कठिनाई हो रही है, हम याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा दी गई दलीलों से इस कारण से सहमत नहीं हैं कि राज्य सिविल सेवा से नियुक्ति की अधिकतम सीमा 33-1/2 प्रतिशत है। इस प्रकार, एससीएस और गैर-एससीएस श्रेणी से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त अधिकारियों का कुल प्रतिशत 33-1/2 है और इसे पार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह प्रावधान के अनुसार, गैर-एससीएस उम्मीदवारों की नियुक्ति की अधिकतम सीमा 33-1/2 प्रतिशत का 15 प्रतिशत है। 'कोटा' शब्द का प्रयोग इस कारण से कोई मायने नहीं रखता है कि केंद्र सरकार ही राज्य सरकार के परामर्श से हर साल एससीएस श्रेणी के साथ-साथ गैर-एससीएस श्रेणी के लिए भी रिक्तियों का निर्धारण करती है। नियमों और विनियमों के तहत आवश्यक "विशेष परिस्थितियों" को राज्य सरकार द्वारा देखा जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते, केंद्र सरकार को राज्य सरकार के प्रस्तावों को अंतिम रूप से अनुमोदित करना होता है जो चयन प्रक्रिया के

माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुँचते हैं। पी.एम. ब्यास (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नियम और विनियमों की योजना के अनुसार, राज्य सरकार को "विशेष परिस्थितियों" के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट होना होता है। इसलिए, यह प्रश्न कि क्या "विशेष परिस्थितियाँ" मौजूद हैं और क्या गैर-एससीएस श्रेणी के उम्मीदवार योग्य हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा देखा जाना है, न कि न्यायालयों द्वारा। हालाँकि, चूँकि गैर-एससीएस श्रेणी के अधिकारियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने और एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था जिसमें कहा गया हो कि "विशेष परिस्थितियाँ" मौजूद हैं, राज्य की ओर से हलफनामा दायर किया गया है और रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

27. अभिलेखों और राज्य द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन से, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विशेष परिस्थितियाँ विद्यमान थीं और गैर-एससीएस श्रेणी के प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता से संबंधित अभिलेख प्रतिवादी राज्य के पास उपलब्ध है। गैर-एससीएस श्रेणी के अधिकारी योग्य हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील का यह तर्क कि योग्यता पर विचार नहीं किया गया है, निराधार है।

28. हमारा यह भी मानना है कि गैर-एससीएस श्रेणी के उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया को रोकने की प्रवृत्ति राज्य सिविल सेवा श्रेणी के उम्मीदवारों की राज्य सिविल सेवा और गैर-राज्य सिविल सेवा श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सभी पदों को हथियाने की लालच की ओर इशारा करती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गैर-एससीएस अधिकारियों के लिए चयन प्रक्रिया हर साल 31 दिसंबर को समाप्त हो जाती है, इसलिए, जो उम्मीदवार योग्य पाए गए हैं, वे न केवल आईएएस के पद पर चयन का अपना मौका खो देंगे, बल्कि यदि चयन प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी नहीं होती है, तो उनकी आयु भी समाप्त हो सकती है।

29. वर्तमान रिट में कोई दम नहीं है और इसे गैर-एससीएस श्रेणी से भर्ती रोकने के गुप्त उद्देश्य से दायर किया गया है। हमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं दिखती, जिससे वर्तमान रिट पर विचार किया जा सके। तदनुसार, इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा वहन किए जाने वाले 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। यह जुर्माना आज से चार सप्ताह के भीतर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किया जाना है।

30. यदि लागत राशि समय पर जमा नहीं की जाती है तो सदस्य सचिव, आर.एस.एल.एस.ए. इसे न्यायालय के संज्ञान में लाएंगे।

(शुभा मेहता),जे

(पंकज भंडारी),जे

चंदन /

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate